5 रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

332 न्यायालय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्र०क्र० निग० -फिक /15 निगरानी 2044-I-15

1- सुखराम तनय घासीराम यादव
निवासी ग्राम टीलादात तहसील
मोहनगढ जिला टीकमगढ म०प्र०

श्री रजनी चन्द्रप्रकाश शर्मा एडवो०
द्वारा आज दि. 3-7-15 को
प्रस्तुत

--- आवेदक

विरूद्ध

1- घासीराम तनय जयराम यादव
2- संतोष तनय जयराम यादव
3- मनोहर यादव तनय जयराम यादव
4- सुरेश यादव तनय जयराम यादव
5- राजू यादव तनय जयराम यादव
समस्त निवासीगण टीलादात तहसील
मोहनगढ जिला टीकमगढ म०प्र०

6- म०प्र० शासन

---- अनावेदकगण

यह निगरानी आवेदन पत्र म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 अन्तर्गत अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ के प्र०क्र० 294/निग०/2010-2011 में पारित आदेश दिनांक 28-8-13 एवं नकल प्राप्त 12-8-14 से परिवेदित होकर प्रस्तुत किया है ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह निगरानी संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1- यह कि प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण घासीराम आदि तनय जयराम यादव निवासी ग्राम टीलादात तहसील मोहनगढ जिला टीकमगढ द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जतारा के प्र०क्र० 292/निग०/88-89 में पारित आदेश दिनांक 28-9-89 के विरूद्ध अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ के यहां निगरानी प्रस्तुत की गई जो प्र०क्र० 294/निग०/10-11

2/--

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2044-एक/2015 जिला टीकमगढ़ सुखराम विरूद्ध धनीराम व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़के प्रकरण क्रमांक 294/निग./2010-11 में पारित आदेश दिनांक 23-08-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 03-07-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 21.01.19
सदस्य